

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर (म0प्र0)

जिला एवं सत्र न्यायालय, इन्दौर (म0प्र0)

Ph. 0731-2533012 E-mail- indoredlsa@gmail.com

क.फा.नं. 3(E)/जिविसेप्रा./274/2026

इन्दौर, दिनांक 30/05/2026

// भर्ती विज्ञप्ति //

माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर, से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त पत्र क.फा.नं. 337/स्था./राविसेप्रा/126/2026 जबलपुर, दिनांक 09.04.2026 पत्र के पालन में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर हेतु 01 वाहन चालक पद के लिए संविदा आधार पर 02 वर्ष हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से ऑफलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं :-

1. आवेदन करने की प्रारंभ तिथि दिनांक 01/06/2026 से प्रारंभ
2. आवेदन करने की अंतिम तिथि- दिनांक 18/06/2026 को शाम 05.00 बजे तक
3. पद का नाम एवं संख्या: वाहन चालक - 01 पद
4. व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं व्यवहारिक ड्राइविंग परीक्षा हेतु दिनांक, प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी के उपरांत जिला न्यायालय इन्दौर की आधिकारिक वेबसाइट तथा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर के सूचना पटल पर यथा संभव दिनांक 25/06/2026 के बाद प्रसारित की जाएगी।
5. आवेदन पत्र विज्ञापन दिनांक 01/06/2026 से दिनांक 18/06/2026 को शाम 5:00 बजे तक भरे जा सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर तथा जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट indore.dcourts.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

6. निश्चित मानदेय :-

क्र.	पद	संख्या	('ए' श्रेणी) मानदेय
1	संविदा आधार पर वाहन चालक	01	14,000/- प्रतिमाह

नोट - निश्चित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

7. शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ :-

वाहन चालक /ड्राइवर के लिए योग्यता :-

- शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता :- 10 वी उत्तीर्ण,
- हिन्दी भाषा को पढ़ने और लिखने की क्षमता।

- नालसा, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियम 2009 के नियम 6(2) के अंतर्गत निर्धारित योग्यता एवं शर्तों के अनुसार की जावेगी।

8. आयु सीमा:-

आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है एवं अधिकतम आयु सीमा 40 होनी चाहिए।

9. आवेदन पत्र एवं स्वप्रमाणित आवश्यक दस्तावेज :-

आवेदक, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अथवा इस विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार अपने आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरें तथा अपने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज / प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किया जाना अति आवश्यक है, यदि किसी अभ्यार्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध है एवं वह अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं करता है, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जावेगा, ऐसे अभ्यार्थी को पात्र किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

10. आवेदन पत्र का प्रेषण :-

आवेदक अपना आवेदन पत्र एवं समस्त दस्तावेज / प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं दो नवीन रंगीन छायाचित्रों (पासपोर्ट साईज फोटो) के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन पत्र भेजा जा रहा है, उस पद का नाम अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर के नाम से संबोधित करते हुए, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर में स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 18/06/2026 को शाम 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं कोई पत्राचार भी मान्य नहीं होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जाएगा, भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। साथ ही आवेदन पत्र व आवश्यक दस्तावेज / प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त न होने की दशा में संबंधित आवेदक की अभ्यार्थिता स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी और उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

11. प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी :-

दिनांक 22/06/2026 को शाम 05.00 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्रों की नियमानुसार स्कूटनी कार्य किया जाएगा। स्कूटनी कार्य में पात्र पाए गए आवेदकों की अंतिम सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर के सूचना पटल तथा जिला न्यायालय इन्दौर की आधिकारिक वेबसाईट पर यथा संभव दिनांक 24/06/2026 को प्रदर्शित की जाएगी।

12. चयन प्रक्रिया/ साक्षात्कार :-

अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार पर आधारित होगा तथा चयन समिति द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर अधिकतम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही उक्त पद हेतु चयन किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में 1:3 के अनुपात में प्रतीक्षा सूची संधारित होगी, छः माह पश्चात् अथवा अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने उपरांत प्रतीक्षा सूची निरस्त मानी जावेगी। पात्र आवेदकों को चयन समिति / बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए नियत तिथि पर उपस्थित रहना होगा। आवेदक को साक्षात्कार दिनांक के दिन अपने आवेदन पत्र में संलग्न स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के मूल दस्तावेज / प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। जिसका सत्यापन, साक्षात्कार दिनांक पर किया जाएगा। अनुपस्थित रहने की दशा में आवेदकगण को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा तथा उसका आवेदन अनुपस्थिति की दशा में स्वतः निरस्त माना जाएगा।

13. चयन परिणाम :-

चयन समिति /बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से चयनित आवेदकों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर के सूचना पटल तथा जिला न्यायालय इन्दौर की आधिकारिक वेबसाईट indore.dcourts.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की दशा में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता देते हुए सूची तैयार की जाएगी। आवेदक अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर में संपर्क कर सकते हैं।

नोट :-अंतिम परिणाम सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्

जैसे की आवश्यक समझा जाए, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यार्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई सारवान त्रुटि ध्यान में आती है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर का परिणामिक परिवर्तनों के साथ चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

14. नियुक्ति के संबंध में :-

चयनित आवेदकों की नियुक्ति माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के पत्र क.फा.नं. 337/स्था./राविसेप्रा/126 जबलपुर, दिनांक 09.04.2026 के अनुसार 02 वर्ष के लिए संविदा आधार पर की जाएगी।

चयनित आवेदक को पुलिस वैरीफिकेशन प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, तथा जिला मेडिकल बोर्ड से स्वयं के व्यय पर निर्धारित शुल्क, यदि कोई हो, अदा कर मेडिकल जांच करवाकर फिटनेश सर्टीफिकेट, प्रस्तुत करना होगा।

15. शुद्धि पत्र

उपरोक्तानुसार पदों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उक्त संशोधन शुद्धिपत्र के माध्यम से जिला न्यायालय इन्दौर की आधिकारित वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाईट पर प्रकाशित शुद्धिपत्र को सभी अभ्यार्थियों के लिए उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। शुद्धिपत्र की जानकारी प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

16. आवेदनों का विनष्टीकरण :-

आवेदन पत्रों का अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन को छोड़कर व अन्य सामग्री का चयन सूची अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जाएगा।

// चयन एवं अभ्यर्थित के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी //

1. कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर हेतु वाहन चालक की भर्ती पूर्ण रूप से संविदा आधार पर दो वर्ष हेतु होगी जिसे संतोषजनक प्रदर्शन, अच्छे आचरण एवं निरंतरता की आवश्यकता के आधार पर तत्पश्चात एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा तथा भर्ती मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2009 के नियम 6(2) के अन्तर्गत निर्धारित योग्यता एवं शर्तों के अनुसार की जावेगी।
2. साक्षात्कार तथा आवश्यक पद हेतु व्यवहारिक ड्राइविंग टेस्ट, दिनांक की सूचना जिला न्यायालय इन्दौर की आधिकारिक वेबसाइट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी।
3. संविदा चालक की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने या अन्य प्रशासनिक स्थिति में संक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी। संविदा वाहन चालक भी एक माह का पूर्व नोटिस देकर या एक माह के वेतन के बराबर राशि जमा किया जाकर त्यागपत्र दे सकेगा।
4. संविदा चालक के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा और संतोषजनक प्रदर्शन न किये जाने तथा अनुशासन के अनुरूप न पाये जाने पर अनुबंध की निरन्तरता या विस्तार किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।
5. अभ्यर्थी पद / वर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा तथा आवेदन पत्र में अपने पद की वरीयता दर्शित करनी होगी। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है।
6. अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के निरीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही साक्षात्कार दिनांक को ही होगी और उन्हें साक्षात्कार में मूल दस्तावेज एवं पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा।
7. संविदा चालक को एक कलेण्डर वर्ष में 13 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
8. यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुए भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य जानकारी दी जाती है अथवा कोई जानकारी नहीं दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर/प्रक्रम पर चयन/अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं होगा।

9. साक्षात्कार की सूचना जिला न्यायालय इन्दौर की आधिकारिक वेबसाइट indore.dcourts.gov.in एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी।
10. यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दंडिक प्रकरण किसी पुलिस थाने न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो अथवा उसे दोषमुक्त/दोषसिद्ध कर दंडित किया गया हो तो निर्णय संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदान करें।
11. पुनः मूल्यांकन / पुनः साक्षात्कार हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस संबंध में प्राप्त आवेदन अभ्यावेदन संक्षिप्त निरस्त कर दिए जाएंगे।
12. आवेदक को साक्षात्कार की सूचना जिला न्यायालय इन्दौर की आधिकारिक वेबसाइट indore.dcourts.gov.in पर दी जाएगी, जिसमें आवेदक समय-समय पर वेबसाइट की जांच करते रहें। सूचना न मिलने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर तथा जिला न्यायालय, इन्दौर की कोई जवाबदारी नहीं होगी। उक्त संविदा भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार का अंतिम निर्णय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन पश्चात माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर का होगा।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र इन्दौर रहेगा।

(अजय श्रीवास्तव)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर (म0प्र0)